मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद कमांक 1

राज्य शासन व्दारा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुल निर्माण के कार्यो को अपरीक्षित मद के रूप में शामिल करते हुए निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

1. नगर कांकेर में दूध नदी पर अन्नापूर्णा पारा एवं जिला पंचायत कांकेर को जोड़ने हेतु पुल निर्माण अनु.लागत . 200.0 लाख । इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
2. जिला कोरिया के कोटाडोल से मुर्किल, आनंदपुर मार्ग पुल निर्माण अनु. लागत रू. 325.00 लाख इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
3. जिला जशपुर के ग्राम नरियरडांड से चेटबा के बीच मार्ग में पुल निर्माण अनु. लागत रू. 40.00 लाख तथा इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
4. जिला सरगुजा के ग्राम परसागुड़ी नरसिंगपुर प्रतापपुर मार्ग पर महान नदी पर पुल निर्माण अनु. लागत रू. 279.00 लाख तथा इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
5. जिला जशपुर के विकासखण्ड कुनकुरी ग्राम चटकपुर एवं बेने के मध्य ईब नदी में पुल निर्माण अनु. लागत रू. 60.00 लाख । इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
6. जिला कोरिया में कोटाडोल से कमरजी मुर्किल मार्ग पर नेउर नदी पर पुल निर्माण जिसकी अनुमानित लागत रू. 155.00 लाख है। इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

   अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन व्दारा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़क निर्माण के कार्यो को अपरीक्षित मद के रूप में शामिल करते हुए निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

1. जिला जांजगीर ग्राम पंचायत सेन्दरी से पतेरापाली एवं बरपाली कला तक सड़क निर्माण पुल पुलियों सहित लंबाई 6.00 कि.मी. (अनु.लागत रूपये 270.00 लाख) इस पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
2. जिला कोरबा के मुरमा से धरमजयगढ़ तक सड़क निर्माण पुल पुलियों सहित लंबाई 10.40 कि. मी. (अनु.लागत रूपये 258.00 लाख) इस पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
3. जिला कोरिया के कोटडोल रामगढ़ मार्ग से कमरजी पहुंच मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. पुल पुलियां सहित निर्माण । (अनु. लागत रूपये 351.00 लाख) इस पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

   अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 1,50,00,000 की आवश्यकता है ।